(SHRI P. C. SETHI): I beg to lay on the Table a copy of the Finance Accounts of the Central Government for the year 1967-68. [*Placed in Library. See* No. LT-1718|69.]

Notification re. amendments to delimitation to Parliamentary and State Constituency Order, 1966

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI M. YUNUS SALEEM): I beg to lay on the Table a copy of Notification No. S.O. 2128 published in Gazette of India dated the 2nd August, 1969, making certain correctons and amendments in Part B of Schedule XI to the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1966 in respect of the State of Mysore, under sub-section (2) of section 9 of the Representation of the People Act, 1950. [*Placed in Library. See* No. LT-1719/69].

Annual Report and Audited Accounts of Central Silk Board, etc. etc.

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वर्ष 1967-68 के लेखा परीक्षित लेखे की एक प्रति ।

(2) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति । [*Placed in Library. See* No. LT-1720/69]

(3) शुद्धिपत्र की एक प्रति जो 9 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 23 जुलाई, 1969 को सभा-पटल पर रखी गई अधिसूचना एस० ओ० 2459 की संख्या में परिवर्तन करके एस० ओ० 2529 किया गया । [*Placed in Library. See* No. LT-1721/69]

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अधीन आवश्यक वस्तु (निर्यात के प्रयोजनार्थ उत्पादन तथा वितरण का विनियमन (तीसरा संशोधन) आदेश, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 2 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2699 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 2700 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था । [*Placed in Library. See* No. LT-1722/69]

(5) आवश्यक वस्तु (निर्यात के प्रयोजनार्थ उत्पादन तथा वितरण का विनियमन) आदेश, 1966 के खण्ड 5-क के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2701 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 2702 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 2 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [*Placed in Library. See* No. LT-1723/69]

ESTIMATES COMMITTEE

Ninety-seventh Report

SHRI A. SREEDHARAN (Badagara): I beg to present the Ninety-Seventh Report of the Estimates Committee regarding action taken by Government on the recommendations contained in the Second Report of the

Estimates Committee on the Ministry of Information and Broadcasting—Board of Film Censors, Bombay.

12.05 hrs.

CENTRAL LABOUR LAWS (EXTENSION TO JAMMU AND KASHMIR) BILL*

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the extension of certain labour laws to the State of Jammu and Kashmir.

MR. SPEAKER: Motion moved:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the extension of certain Central labour laws to the State of Jammu and Kashmir."

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी): अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक के इंट्रोडक्शन का विरोध करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : सारे बिल्स पर आपका विरोध मैंने देखा है । मैंने देखा है जब भी कोई विधेयक इंट्रोडक्शन स्टेज पर आता है आप जरूर उसको अपोज़ करते हैं । कहीं किसी विधेयक में कोई फंडामेंटल चीज आए तो यह ठीक है लेकिन यह प्रैक्टिस हर विधेयक के सम्बन्ध में अच्छी नहीं है । हाउस में टाइम की बड़ी कमी है । मैं आप को मना नहीं करता लेकिन आप हर एक में अपोज़ करते हैं । दो एक मिनट में आप को इस पर भी जो कुछ कहना हो कह दें ।

श्री शिव चन्द्र झा : थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यदि ऐसे विधेयक आते हैं जिन के मुताल्लिक सदस्य समझते हैं कि इनका विरोध करना चाहिए तो क्या यह जनतन्त्र का तकाजा नहीं है कि हम विधेयक का हम विरोध करें ? एक तो आप पहले यह गौर करेंगे कि हम लोग कांस्ट्रेक्टिव विरोध करते हैं सरकार के विधेयकों पर । इन विधेयकों में बहुत सी खामियां रहती हैं और हमारे लिए यह लाजिमी हो जाता है कि हम उन खामियों को दिखाएं । चाहे एक सदस्य दिखाए चाहे तमाम मिल कर दिखाएं । तो हमारा यह हक हो जाता है । उसके लिए इस तरह की बात आप कहते हैं, मुझे हैरानी हो जाती है, कि हर विधेयक का हम विरोध करने लग जाते हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : मेरा आपसे निवेदन यह है कि जब हाउस ने लीव दे दी, बिल इंट्रोड्यूस होता है, यह एक फार्मल चीज होती है । इसमें बहुत ही कोई कांस्टीट्यूशनल और फंडामेंटल प्वाइंट होता है तब कहीं जा कर इस स्टेज पर विरोध किया जाता है । लेकिन मैं ने सारे बिल्स देखे हैं । हर बिल पर आप एतराज उठाते हैं । मैं आपसे अर्ज करूं कि एकाध छोड़ भी दिया करें आप ।

श्री शिव चन्द्र झा : मेरा इसमें तफरका है । अध्यक्ष महोदय, यदि आप तफसील में जाएंगे तो देखेंगे, हमारे लिए यह लाजिमी हो जाता है क्योंकि हम एक एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, एक एक शब्द को पढ़ेंगे, जिस मेहनत के साथ इन्होंने विधेयक बनाने की कोशिश की है क्या यह हमारा फर्ज नहीं होता है कि हम उतनी ही मेहनत के साथ यह देखें कि क्या वह विधेयक संविधान के दायरे में आता है या नहीं, क्या इस विधेयक पर अंगुली तो नहीं उठाई जा सकती है, तो यह बात समझ में नहीं आती है कि हर विधेयक का विरोध न किया जाय ।

दूसरी बात इम्पार्टेंट क्या है अनइम्पार्टेंट क्या है, एक तो यह बैंक नेशलाइजेशन का विधेयक ही यहां आया जो इम्पार्टेंट था . . . . (**व्यवधान**) . . . तो इस में तो तफरके हैं ।

यह विधेयक जो है इस के ऊपर मेरी आपत्ति यह है कि इस तरह के विधेयक

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 20-8-69.